प्रेस नोट

दिनांक 16.11.2025

थाना मौदहा पुलिस द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.11.2025 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 399/2025, धारा 103(1) BNS से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित कुमार यादव पुत्र रामकुमार यादव, निवासी महमद मऊ, थाना लालगंज, जनपद रायबरेली को विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत, राठ तिराहा, जनपद हमीरपुर से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिज़ायर कार, आलाक़त्ल के साथ गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 238 बीएनएस तथा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.11.2025 को थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रमना किशनपुर के पास बसवारी रोड पर सड़क के किनारे गड्ढे में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना मौदहा पर मु0अ0सं0 399/2025, धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अज्ञात शव की शिनाख्त/पहचान हेतु सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया, जिसके फलस्वरूप मृतका की पहचान किरन पुत्री राजबहादुर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम मकरबई, थाना कबरई, जनपद महोबा के रूप में उसके परिजनों द्वारा की गई। घटना के अनावरण हेतु बसवारी–मौदहा मार्ग पर लगे CCTV कैमरों का अवलोकन, साक्ष्य संकलन तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना की रात घटना स्थल के आसपास एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार देखी गई थी। CCTV फुटेज से वाहन का नम्बर प्राप्त हुआ। वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार पुत्र बैजनाथ, निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा से सत्यापन एवं पूछताछ की गई, जिसमें वाहन स्वामी ने बताया कि पूर्व में थाना कबरई में तैनात उ0नि0 अंकित कुमार यादव द्वारा दिनांक 12.11.2025 की शाम किसी निमंत्रण में जाने की बात कहकर उक्त वाहन ले जाया गया था। मृतका के परिजनों के बयान, प्राप्त साक्ष्य एवं CCTV फुटेज के आधार पर उ0नि0 अंकित कुमार यादव पुत्र रामकुमार यादव, निवासी महमद मऊ थाना लालगंज जनपद रायबरेली, (वर्तमान तैनाती क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय जनपद महोबा) का नाम घटना को कारित करने में प्रकाश में आया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त से घटना के सम्बन्ध मे कड़ाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में थाना कबरई में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। इसी दौरान वादिनी किरन पुत्री राजबहादुर निवासी ग्राम मकरबई, थाना कबरई, जनपद महोबा द्वारा अपने पति एवं ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना उसके द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के दौरान किरन से उसकी जान-पहचान हो गई। दिनांक 12/11/2025 को भी शाम के समय किरन ने उसे साथ चलने के लिए कहा। इस पर अभियुक्त ने अपने परिचित देवेन्द्र निवासी ग्राम मकरबई से किसी निमंत्रण में जाने का बहाना बनाकर गाड़ी मांगी। बाद में वह किरन को साथ लेकर महोबा से मुस्करा आया। रास्ते में किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहसबाजी भी हुई। इसी दौरान बसवारी वाले रोड से जाते समय किरन ने शौच हेतु गाड़ी रुकवायी। अभियुक्त ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी व किरन जैसे ही

शौच हेतु बैठी तभी अभियुक्त ने गाड़ी में पहले से रखी लोहे की रॉड से पीछे से उसके सिर पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने शव को सड़क किनारे स्थित गड्ढे में खींचकर छिपा दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अभियुक्त ने बताया कि वह किरन से मानसिक रुप से परेशान था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

अंकित कुमार यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी महमद मऊ थाना लालगंज जनपद रायबरेली ।

अभियुक्त से बरामदगी-

1.घटना में प्रयुक्त एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार ।

2.आलाकत्ल लोहे की राड़।

3. घटना के समय पहनी अभि0 की टी शर्ट ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 399/2025 धारा 103(1)/238 BNS व 3(2)V SC/ST ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.नि0 उमेश कुमार सिंह (प्रभारी निरीक्षक थाना मौदहा)

2.उ0नि0 अनिल कुमार सिंह (थाना मौदहा)

3.उ0नि0 विनेश गौतम (थाना मौदहा)

4.उ0नि0 अभिषेक त्रिपाठी (थाना मौदहा)

5.उ0नि0 सचिन शर्मा (एस0ओ0जी0 प्रभारी)

6. का0 गजेंद्र यादव (सर्विलांस)

7.का0 विजय प्रताप (थाना मौदहा)

8.का0 विनीत कुमार (थाना मौदहा)

9.का0 शक्ति सिंह (एस0ओ0जी0)

10.का0 अतुल कुमार (एस0ओ0जी0)

11.का0 सुरेंद्र मिश्रा (एस0ओ0जी0)

12.का0 रंजीत कुमार (थाना मौदहा)